निरंकारी मंडल में अभ्यास का दौर

निरंकारी मंडल के सेवाभावी युवा तत्परता से अभ्यास में जुटे हुए है, बीते वर्ष भी लोकमत के मैराथन में सैंकड़ों युवा उत्साह से शामिल हुए थे. इस बार भी इस स्वास्थवर्धक आयोजन के लिए अभ्यास का दौर जारी हैं. हम सब भाग लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने का प्रयास हैं. स्वास्थ्य और समाज के एकत्रीकरण पर ही निरंकारी मंडल कार्य करता है.
-कन्हैयालाल डेबरा, जोनल इंचार्ज, निरंकारी मंडल औरंगाबाद

हम भी हैं जोश में...

औरंगाबाद के लोकमत भवन में पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस ग्रुप के (बाएं से) स्वप्निल तुपशेंद्र, विवेक धावले, संजय मुत्याल, सदाशिव तुपे, शेख असदउल्ला, बलीराम शेलके, स्वप्निल पवार, प्रभाकर तिवरखेड़े, निवृत्ति तोड़कर, संदीप रेवे, गणेश खाड़े, सचिन टेहरे, प्रवीण झोंड

औरंगाबाद के लोकमत भवन में यंग रनर ग्रुप के (बाएं से) देशराज डेबरा, श्रीपाद सरदेशपांडे, ओम सरदेशपांडे, आर्च सरदेशपांडे, गिरीष तोलवानी, अनिल माणिक शेट्टी, राजेंद्र डोसी, गोपाल डबीर, दयानंद कांबले, मोहनीष थोरात, भरत शहा, राकेश यादव, आदर्श जाधव, व्यंकटेश काटकर.

मैराथन से 'स्व' की तलाश संभव

डॉ बबिता परसवानी ने बयां किया दार्शनिक अंदाज

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

'मैराथन व्यक्ति को अनुशासित बनाने में सहायक सिद्ध होता है. इसके जरिए आदमी स्व की तलाश कर सकता है. 'सेल्फ डिस्कवरी' एक तरह अध्यात्म की अनुभूति देती है.' मैराथन की अहमियत को कुछ इस प्रकार दार्शनिक अंदाज में डॉ बबिता परसवानी ने बयां किया.

पिछले साल 'लोकमत औरंगाबाद महामैराथन' में बेहद उत्साह से शिरकत कर चुकीं डॉ बबिता परसवानी ने रनिंग और मैराथन के फर्क को बताते हुए कहा कि रनिंग से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं. शरीर में चरबी की मात्रा कम होती है और एक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है. रनिंग से स्टेमिना बढ़ता है और शारीरिक रुप से एक संतुलन बनता है. एक व्यापक रूप में रनिंग के कई लाभ हैं. लेकिन मैराथन इससे थोड़ी अलग है. रनिंग के सारे फायदे तो मैराथन में हैं ही, पर इसके साथ ही साथ मैराथन व्यक्ति को अनुशासित बनाता है और एक आध्यात्मिक अनुभूति भी देता है. व्यक्ति मैराथन के जरिए 'सेल्फ डिस्कवरी' करता है.

17 दिसंबर को होने वाली 'लोकमत औरंगाबाद महामैराथन' में हिस्सा लेने जा रहीं डॉ परसवानी ने बताया कि मैराथन 'मेंटल इस्टिम्युलेशन' का एक बेहतरीन जरिया है. शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक सेहत के लिए भी मैराथन में हिस्सा लेना फायदेमंद है. खासकर इस भाग-दौड़ भरे जीवन में मैराथन की काफी उपयोगिता है.

'लोकमत औरंगाबाद महामैराथन' की सराहना करते हुए डॉ बबिता परसवानी ने कहा कि पिछले साल भी इसका शानदार आयोजन किया गया था और उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा आयोजन होगा.

औरंगाबाद के लोकमत भवन में जेएमके इन्फो सॉल्यूशन ग्रुप के सदस्य.

ग्रुप बुकिंग के लिए संपर्क करें

महामैराथन में अपना हिस्सा जल्द से जल्द निश्चित करें. इसके लिए पंजीयन लोकमत भवन, रीगल लॉन, जालना रोड में सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक कराया जा सकता है. स्पर्धा में स्कूल, महाविद्यालय, कंपनी के कर्मचारी, रनर्स ग्रुप भी एकत्रित रूप से पंजीयन करा सकते हैं. मैराथन में पंजीयन कर अधिक से अधिक धावक, नागरिक भाग लें.

स्पर्धा

- Half Marathon - 21 Kms
- Power Run - 10 Kms
- Fun Run - 5 Kms
- Family Run - 3 Kms

अधिक जानकारी व ग्रुप बुकिंग के लिए 9921030700, 0240-3021708 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. महामैराथन में पंजीयन ऑनलाइन भी किया जा सकता है. इसके लिए धावक www.mahamarathon.com वेब लिंक पर जाएं.

बारवाल बिल्डर समेत चार पर मामला दर्ज

सहयोगी वकील भी आरोपों के घेरे में

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

दो फ्लैट बुक कराने के बाद 35 लाख रुपए लेकर एक वकील के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में बारवाल बिल्डर समेत चार लोगों के खिलाफ छावनी पुलिस ने आज मामला दर्ज किया है. आरोपियों में एक अन्य वकील भी है.

इस बारे में आदिनाथ नगर, गारखेड़ा निवासी महेंद्र गुलाबचंद कोचर नामक 43 वर्षीय वकील ने छावनी पुलिस में शिकायत लिखाई है कि वह और अमित मुखेड़कर (निवासी सिडको एन-3) दोस्त हैं और पिछले अनेक दिनों से एक साथ वकील व्यवसाय भी करते हैं. अक्तूबर 2012 में जब एड कोचर अपने मित्र एड अमित मुखेड़कर के घर गए तो वहां पर उन्होंने अपने भाई सुमित मुखेड़कर के साथ ही कैलाश बारवाल और विलास बारवाल से परिचय कराते हुए कहा कि यह शहर के मशहूर बिल्डर हैं. बिल्डर के साथ अपने भाई सुमित की पार्टनरशिप होने की बात कहकर एड अमित ने एड कोचर से कहा कि 'बारवाल की पड़ेगांव परिसर में साइट शुरू है, वहां पर मैंने एक फ्लैट बुक किया है, अच्छी लोकेशन है, तुम भी एक फ्लैट बुक कराओ.'

दूसरे दिन एड कोचर को नवकार यश गृह प्रकल्प की साइट दिखाई गई. इसके कुछ दिन बाद उन्होंने दो फ्लैट बुक किए. बुकिंग के दौरान बिल्डर के कहने के अनुसार उनको दस-दस लाख रुपए के दो चेक दिए थे. दूसरा फ्लैट बुक करते समय एड मुखेड़कर ने कोचर को भरोसा दिलाया था कि 'उनका भाई पार्टनर है, इसलिए बेफिक्र रहें, बाद में फ्लैट बेच दिया तो भी ज्यादा कीमत मिलेगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी और बाकी बातों के लिए हम दोनों भाई हैं.' इस प्रकार का विश्वास दिलाने के बाद एड कोचर ने उन्हें नकदी 15 लाख रुपए भी दे दिए. फ्लैट का 26-26 लाख रुपए में सौदा किया गया था.

नवंबर 2014 और जून 2015 में कैलाश बारवाल ने कोचर के नाम पर एक और उनकी पत्नी के नाम पर एक, इस तरह दो फ्लैट का करारनामा किया, लेकिन उसमें नकदी का कोई जिक्र नहीं किया. पूछताछ करने पर उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि इससे रजिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है, इसलिए उल्लेख नहीं किया. जब कोचर ने बैंक में कर्ज के लिए फाइल पेश करने का प्रयास किया तो बारवाल ने उन्हें रोक दिया. बारवाल ने वादा किया कि छह माह में रजिस्ट्री करा दी जाएगी.

लेकिन जब छह माह बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो कोचर ने बारवाल बंधु और मुखेड़कर बंधु से पूछताछ की तो वह टालमटोल करने लगे. कोचर के दोनों फ्लैट दूसरों को बेच दिए जाने का मामला सामने आने पर तथा बारवाल को पुलिस द्वारा दूसरे एक ऐसे ही मामले में गिरफ्तार करने की जानकारी मिलने पर एड कोचर ने मुखेड़कर बंधुओं से रुपए लौटाने के लिए कहा तो उन्होंने उलटे उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी.

आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक श्रीकांत नवले ने आरंभिक जांच की तो मामला गड़बड़ नजर आया. इसके बाद गुरुवार को छावनी पुलिस ने कैलाश बारवाल, विलास बारवाल, एड अमित और सुमित मुखेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज किया.

750 विद्यार्थियों को दिए देर रात हॉल टिकट

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

पाठ्यक्रम	विद्यार्थी	परीक्षा केंद्र
इंजीनियरिंग	33117	16
फार्मेसी	3640	07

डॉ बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने मंगलवार से इंजीनियरिंग की शीतकालीन परीक्षाएं शुरू की हैं. इस वर्ष विवि प्रशासन ने कैरिऑन के 751 विद्यार्थियों को देर रात हॉल टिकट जारी किए.

सभी विद्यार्थी को कैरिऑन मिलने से कई अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों ने परीक्षा के आवेदन-पत्र नहीं भरे थे. जिससे हॉल टिकट देने में देरी हुई थी. एक दिन पूर्व हॉल टिकट दिए गए थे, पर वह विद्यार्थी के लॉग इन आईडी पर भेजे थे. कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन हॉल टिकट नहीं निकाल पाए थे, जिससे तड़के साढ़े तीन बजे तक सभी को प्रिंटेड हॉल टिकट दिए गए. इस बीच विवि के परीक्षा विभाग ने औरंगाबाद शहर के बाहर कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं रखा है. शहर में चार उड़नदस्ते रखे गए हैं. बीड़, जालना और उस्मानाबाद के परीक्षा केंद्र पर बैठे दस्ते रखे गए हैं, इस आशय की जानकारी परीक्षा व मूल्यांकन मंडल संचालक डॉ डीएम नेटके ने दी.

मतदान के दिन अवकाश देने की मांग

औरंगाबाद. डॉ बाबासाहब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने स्नातक सीनेट चुनाव आगामी 4 दिसंबर 2017 को कराने का निर्णय लिया है. इस दिन विवि के कार्यक्षेत्र में शैक्षणिक अवकाश देने की मांग राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने कुलपति डॉ बीए चोपड़े से की है. ज्ञापन में कहा गया है कि स्नातक सीनेट चुनाव के लिए विद्यार्थी बड़े पैमाने पर स्नातक मतदाता है. 30 हजार से ज्यादा मतदाता विवि के कार्यक्षेत्र में चार जिलों में फैले हैं. इसके चलते विद्यार्थियों को 4 दिसंबर को शैक्षणिक अवकाश देने की आवश्यकता है.

आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा रद्द

कनिष्ठ न्यायालय और सरकारी वकील पर उच्च न्यायालय का आरोप

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

2004 में औरंगाबाद पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजेंद्र दर्डा नामांकन-पत्र भरने जा रहे थे कि भीड़ में से किसी ने नारेबाजी की थी. इसके चलते आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था. मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश डी नाईक ने राजेंद्र दर्डा सहित कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के तत्कालीन शहर व जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मिलाकर कुल 14 लोगों की याचिका मंजूर कर उन्हें इस मामले से दोषमुक्त कर दिया है. साथ ही प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी का आदेश रद्द करते हुए खंडपीठ ने मुकदमे को ही रद्द कर दिया.

2004 में औरंगाबाद पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस के तत्कालीन अधिकृत उम्मीदवार राजेंद्र दर्डा नामांकन-पत्र भरने जा रहे थे कि भीड़ में से किसी ने नारेबाजी की थी. इसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन अधिकारी खुदाबख्श तड़वी ने सिटी चौक पुलिस थाने में मुंबई पुलिस कानून की धारा 135 और फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अनुसार मामला दर्ज किया था. इसका आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया.

महाराष्ट्र शासन ने वर्ष 2007 में 'राजनीतिक अपराध' वापस लेने का नीतिगत फैसला किया. पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर समिति की सिफारिश के अनुसार अर्जी दाखिल कर न्यायालय की अनुमति से मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया था. इसके अनुसार औरंगाबाद

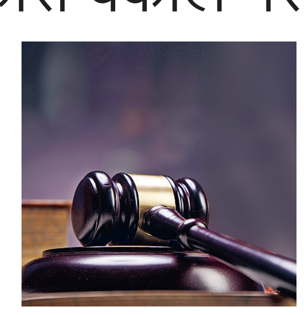

के पुलिस आयुक्त ने उक्त मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया था. लेकिन, कनिष्ठ न्यायालय ने सरकारी वकील के जरिए दायर की गई याचिका ठुकरा दी थी. उस आदेश को मनमोहन सिंह ओबेरॉय ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी तो उनकी याचिका मंजूर करते हुए खंडपीठ ने उनके खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया था.

उक्त फैसले का आधार लेते हुए इस अपराध के अन्य आरोपियों ने उनके खिलाफ दायर मुकदमा रद्द करने के लिए दायर याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी. इसके विरोध में खंडपीठ में तीन अलग-अलग याचिकाएं एड चंद्रकांत ठोंबरे के जरिए दायर की गई थी. इन याचिकाओं को मंजूर करते हुए खंडपीठ ने राजेंद्र दर्डा, ऋषि दर्डा, मधुकरअण्णा मुले, सुरेश पाटील, केशवराव औताड़े, भाऊसाहब ठोंबरे, शिवनाथ राठी, सलीम पटेल, हिदायत अली, सिद्दीक मोतीवाला, अजीज खान सहित कुल 14 लोगों पर दायर मुकदमा रद्द कर दिया.

खंडपीठ ने उक्त आदेश देते हुए कनिष्ठ न्यायालय और सरकारी वकील पर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है. भीड़ में से किसी ने नारेबाजी की थी, केवल इतनी ही मूल शिकायत थी. याचिकाकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं थे. ऐसी परिस्थिति में एक आरोपी की दोषमुक्ति की याचिका उच्च न्यायालय ने मंजूर की थी. इसकी वजह का उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किए जाने और राजनीतिक स्वरुप के मुकदमे वापस लेने के राज्य सरकार का नीतिगत फैसला स्पष्ट होने के बाद भी सरकारी वकील ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 321 की जिम्मेदारी को पूरी करने के दौरान ही विरोध करने (कानूनी जिम्मेदारी से विसंगति) तथा धारा 239 के तहत अधिकार का इस्तेमाल कर कनिष्ठ न्यायालय ने सरकारी वकील की दलील स्वीकारते हुए याचिका खारिज करना ठीक नहीं होने का आरोप उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ न्यायालय पर लगाया है.

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से एड चंद्रकांत ठोंबरे ने पैरवी की. उन्हें एड सुमेधा सी ठोंबरे ने सहयोग किया. सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किशोर होके पाटील ने पैरवी की.

लॉज में उत्तर प्रदेश के युवक की संदिग्ध मौत

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

अभिनय सिनेमा घर चौक परिसर के होटल इंद्रप्रस्थ लॉज में ठहरे उत्तर प्रदेश के एक युवक का शव आज कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाया गया.

मृतक की पहचान राजेंद्र सिंह (32) के रूप में की गई है. बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी है तथा पिछले कुछ दिनों से यहां जालना रोड स्थित एक होटल में फोरमैन के रूप में काम करता था. गुरुवार की सुबह उसके लॉज में जाने के कुछ देर बाद जब होटल कर्मी उससे पैसे मांगने गए तो वह कमरे में मृतावस्था में पाया गया. इसकी जानकारी क्रांति चौक पुलिस को देने पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को घाटी अस्पताल भेज दिया. पुलिस का अनुमान है कि अधिक मात्रा में शराब पीने अथवा दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई होगी. पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

औरंगाबाद में गुरुवार को किसानों की समस्याओं को लेकर जालना रोड स्थित केंब्रिज स्कूल चौराहे पर रास्ता रोको आंदोलन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता.

आंदोलन • जालना रोड पर हुए आंदोलन में शामिल हुए बड़ी संख्या में लोग

किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस ने रोका रास्ता

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

कांग्रेस की ओर से किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को जालना रोड पर स्थित केंब्रिज स्कूल चौराहे पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया.

इस अवसर पर कपास की नुकसान भरपाई को लेकर पचास हजार रुपए का अनुदान देने, संपूर्ण कर्ज माफी करने, किसानों के बिजली बिल माफ करने और बिजली कनेक्शन काटने का कार्य बंद करने, कृषि उपज को गारंटी भाव देने, कपास का निकृष्ट बीज बनाने वाली कंपनियों पर अपराध दर्ज करने की मांग की गई. इस अवसर पर मार्गदर्शन करते हुए स्थानीय नेताओं ने कहा कि भाजपा की राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर टालमटोल कर रही है. किसानों को कर्ज की खाई में धकेलने का प्रयास जारी है, प्रकृति की मार के चलते किसान प्रभावित हैं. किसानों के हित के निर्णय लेने की मांग भी की गई. किसानों की समस्या को लेकर किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक अब्दुल सत्तार, विधायक सुभाष झांबड़, पूर्व विधायक डॉ कल्याण काले, शहर अध्यक्ष नामदेव पवार, देवगिरि शक्कर कारखाने के चेयरमैन जगन्नाथ काले, किरण डोणगांवकर, पंचायत समिति की सभापति ताराबाई उकर्डे, कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र काले, तहसील अध्यक्ष रामराव शेलके, संजय औताड़े, नारायण मते, सुधीर मुले, राहुल सावंत, बबन कुंडरे, दत्तात्रय उकर्डे, अतिष पितले, पवन डोंगरे, अशोक डोलस, कादर शाहा, विट्ठल कोरड़े, गजानन मते, आत्माराम पलसकर, मूसा पटेल, श्रीमंत दांडगे, श्रीमंत भोसले, संदीप तुपे, कृष्णा उकर्डे समेत अनेक कार्यकर्ता और किसानों ने भाग लिया.

औरंगाबाद में गुरुवार को किसान इस तरह फसल व कर्ज माफी के पोस्टर लेकर रास्ता रोकों आंदोलन में शामिल हुए.

एजेंट ने मांगी महिला क्लर्क से एक लाख की फिरौती

आरटीओ कार्यालय का मामला, छापे में दो कथित आरटीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार

औरंगाबाद | 30 नवंबर | लोस सेवा

आरटीआई कार्यकर्ता बनकर आरटीओ कार्यालय के एक वरिष्ठ लिपिक से एक लाख रुपए ले रहे आरटीओ कार्यालय के ही दो एजेंटो को अपराध शाखा पुलिस ने गुरुवार को रंगे हाथों पकड़ा है.

आरटीओ कार्यालय में एक के बाद एक एजेंटों के कारनामे उजागर होने से कार्यालय में खलबली मच गई है. पकड़े गए एजेंट तथा सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं के नाम अरुण दगडू माडुकर (54, निवासी-जालाननगर) और विनोद फूलचंद गंगवाल (57, निवासी-पदमपुरा) हैं. उनके कब्जे से फिरौती की रकम एक लाख के अलावा 55 हजार के दो मोबाइल, 15 लाख की दो कार, नकदी 8 हजार रुपए को मिलाकर 16 लाख 63 हजार रुपए का माल जब्त किया गया है.

पुलिस निरीक्षक शिवाजी कांबले ने बताया कि नंदनवन कॉलोनी निवासी 39 वर्षीय विश्वा नरहरी राऊत नामक महिला आरटीओ कार्यालय में अनुकंपा पर वर्ष 1999 से वरिष्ठ क्लर्क के रूप में नौकरी कर रही है. उनके ही कार्यालय के एजेंट अरुण माडूकर और विनोद गंगवाल ने राऊत से फोन और प्रत्यक्ष मिलकर 'आरटीआई एक्ट के तहत मिली जानकारी छिपाने के लिए' ढाई लाख की मांग की थी. पैसे न दिए जाने पर अदालत और पुलिस में कार्रवाई करने की धमकी भी उक्त दोनों ने दी थी. विश्वास राऊत की इस शिकायत पर सहायक आयुक्त रामेश्वर थोरात के मार्गदर्शन में निरीक्षक कांबले और उनकी टीम ने आज आरटीओ कार्यालय में जाल बिछाया था. इसके बाद जैसे हो आरोपियों ने सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीकृष्ण नखाते के केबिन में महिला क्लर्क से एक लाख रुपए फिरौती ली, कि उसे पकड़ लिया. इस बारे में वेदांतनगर पुलिस में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी.

आता प्रथमच सेक्स समस्यांवर अत्याधुनिक विदेशात प्रचलित लेझर व व्हॅक्युम थेरेपी उपचार

विवाहापुर्वी व विवाहानंतर समस्यांसाठी एम.बी.बी.,एस.एम.डी. डॉक्टरांचा सल्ला
हस्तमैथुन, स्वप्नदोष, विर्यदोष, शिघ्रपतन, इंद्रीय शिथिलता, पुरुष वंधत्व
हायपोगोनॅडिझममुळे इंद्रीय समस्या, मधुमेहामुळे आलेली लैगिंक शिथीलता
ऑलीगोस्पर्मीया : शुक्रजंतुची संख्या कमी असणे. अॅझुस्पर्मीया: शुक्रजंतुची संख्या अजीबात नसणे.

आशाकिरण क्लिनीक
१९८५ पासुन
शास्त्रीयोक्त मार्गदर्शन केंद्र
३८, निराला बाजार, बाटा शोरुम समोर, औरंगाबाद. वेळ - स.११ ते ३ व सायं.७ ते ९ शनिवार रविवार बंद
कृपया अनावश्यक खर्चीक व फसव्या उपचारापासुन सावध मो. 7769856821 9767132521